

ऋण वापसी/प्रत्याह्वान सूचना पत्र



बनाम

Ref. No. : 5406978/LRN/2022



VIJENDRA KUMAR C/O GIRDHARI LAL

BORROWER

WARD NO 11 DHOLA KHERA TEH.UDAIPURWATI 297, JHUNJHUNU,

Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

दिनांक :- 15-Feb-23

122

(Borrower):- VIJENDRA KUMAR C/O GIRDHARI LAL

WARD NO 11 DHOLA KHERA TEH.UDAIPURWATI 297, JHUNJHUNU, Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(Co-Borrower 01):-RAKESH KUMAR C/O GIRDHARI LAL

WARD NO. 11 DHOLAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297 DHOLAKHERA Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(Co-Borrower 02):- NIL

(Co-Borrower 03):- NIL

(GTR 01):- INDRAJ SINGH C/O MOOLA RAM

WARD NO. 09 DHILAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297, DHOLAKHERA, Jhunjhunu, Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(GTR 02):-NIL

(GTR 03):-NIL

महोदय/महोदया,

यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा आज दिनांक से पूर्व मे दिया गया लोन रीकोल नोटिस निरस्त करते हुए उक्त नोटिस प्रेषित कर आपको इस ऋण वापसी बाबत सूचना पत्र के जरिये प्रार्थी कंपनी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजि. कार्यालय जी01 जी 02 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से निम्न प्रकार सूचित एवं आगाह किया जाता है-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाती है व कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।
- यह कि आपने स्वयं की जरूरतों के संदर्भ में ऋण पर वित्तीय सुविधा लेने हेतु कंपनी से सम्पर्क कर वित्तीय सुविधा के लिए आवेदन किया । तत्पश्चात वित्तीय सुविधा आपने दिनांक **30/09/2019** को ऋण अनुबंध खाता संख्या **5406978**-निष्पादित कर रुपये **250000/-** कि वित्तीय सुविधा हाइपोथीकेट वाहन जिसका **MAKE-ALTO 800 LXI For Personal Use., VEH.NO-RJ19CH2994, ENGIN_NO-F8DN6060020, CHACHIS_NO. MA3EUA61S00D04107** पर प्राप्त की है ।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्देशानुसार, कम्पनी के द्वारा आपको **3** महीनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। **10002/-** रुपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तीय सुविधा **260002 /-**रुपयें की हो गई थी ।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध की शर्तानुसार आपके द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा की अदायगी कम्पनी को रुपये **8979/-** कि **40** नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक उक्त वाहन कम्पनी के पास हाइपोथीकेट रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध में आप **VIJENDRA KUMAR C/O GIRDHARI LAL** ऋणी एवं सहऋणी क्रम संख्या. 01 **RAKESH KUMAR C/O GIRDHARI LAL** एवं सहऋणी क्रम संख्या. 02 **NIL** एवं **NIL** सहऋणी क्रम संख्या. 03 एवं गारण्टर क्रम संख्या. 01 **INDRAJ SINGH C/O MOOLA RAM** एवं गारण्टर क्रम संख्या. 02 **NIL** एवं गारण्टर क्रम संख्या. 03 **NIL** है जोकि ऋण अनुबंध के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी है ।
- यह कि हमे आपको सूचित करते हुए खेद है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तों से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर अनुबंध की शर्तों को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी कम्पनी के निरंतर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे है ।
- यह कि प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार-बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। यह कि आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।

अतः आपको इस सूचना पत्र के जरिये सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा उपरोक्त वर्णित ऋण सुविधा को तुरंत प्रभाव से वापस (Loan Recall) लिया जाता है और आपके जिम्मे इस नोटिस को जारी करने की दिनांक तक **48541/-** रुपये बकाया राशि की मांग की जाती है। उपरोक्त राशि की अदायगी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है एवं इसके अतिरिक्त हाइपोथीकेट वाहन पर आपका कब्जा भी अवैध हो गया है जिसे कम्पनी को वापस लौटने का उत्तरदायित्व भी आपका है एवं कम्पनी को भी ऋण अनुबंध की शर्तानुसार हाइपोथीकेट वाहन को स्वयं के आधिपत्य में प्राप्त करने के समस्त अधिकार निहित है व कम्पनी उक्त वाहन को अपने अधिपत्य में ले लेगी।

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दि जाती है कि इस सूचना पत्र दिनांक के 7 दिवस के भीतर उपरोक्त कि पालना करे अन्यथा आपके विरुद्ध अनुबंध की शर्तानुसार एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके समस्त हर्जे खर्चे एवम परिणामो के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आप सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकता

एसके फाइनेंस लि (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

ऋण वापसी/प्रत्याह्वान सूचना पत्र



बनाम

Ref. No. : 5406978/LRN/2022



RAKESH KUMAR C/O GIRDHARI LAL

CO-BORROWER

WARD NO. 11 DHOLAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297, DHOLAKHERA,
Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

दिनांक :- 15-Feb-23

123

(Borrower):- VIJENDRA KUMAR C/O GIRDHARI LAL

WARD NO 11 DHOLA KHERA TEH.UDAIPURWATI 297, JHUNJHUNU, Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(Co-Borrower 01):-RAKESH KUMAR C/O GIRDHARI LAL

WARD NO. 11 DHOLAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297 DHOLAKHERA Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(Co-Borrower 02):- NIL

(Co-Borrower 03):- NIL

(GTR 01):- INDRAJ SINGH C/O MOOLA RAM

WARD NO. 09 DHILAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297, DHOLAKHERA, Jhunjhunu, Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(GTR 02):-NIL

(GTR 03):-NIL

महोदय/महोदया,

यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा आज दिनांक से पूर्व मे दिया गया लोन रीकोल नोटिस निरस्त करते हुए उक्त नोटिस प्रेषित कर आपको इस ऋण वापसी बाबत सूचना पत्र के जरिये प्रार्थी कम्पनी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजि. कार्यालय जी01 जी 02 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से निम्न प्रकार सूचित एवं आगाह किया जाता है—

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाती है व कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।
- यह कि आपने स्वयं की जरूरतों के संदर्भ में ऋण पर वित्तीय सुविधा लेने हेतु कंपनी से सम्पर्क कर वित्तीय सुविधा के लिए आवेदन किया । तत्पश्चात वित्तीय सुविधा आपने दिनांक **30/09/2019** को ऋण अनुबंध खाता संख्या **5406978**-निष्पादित कर रुपये **250000/-** कि वित्तीय सुविधा हाइपोथीकेट वाहन जिसका **MAKE-ALTO 800 LXI For Personal Use., VEH.NO-RJ19CH2994, ENGIN_NO-F8DN6060020, CHACHIS_NO. MA3EUA61S00D04107** पर प्राप्त की है ।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्देशानुसार, कम्पनी के द्वारा आपको **3** महीनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। **10002/-** रुपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तीय सुविधा **260002 /-**रुपयें की हो गई थी ।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध की शर्तानुसार आपके द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा की अदायगी कम्पनी को रुपये **8979/-** कि **40** नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक उक्त वाहन कम्पनी के पास हाइपोथीकेट रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध में आप **VIJENDRA KUMAR C/O GIRDHARI LAL** ऋणी एवं सहऋणी क्रम संख्या. 01 **RAKESH KUMAR C/O GIRDHARI LAL** एवं सहऋणी क्रम संख्या. 02 **NIL** एवं **NIL** सहऋणी क्रम संख्या. 03 एवं गारण्टर क्रम संख्या. 01 **INDRAJ SINGH C/O MOOLA RAM** एवं गारण्टर क्रम संख्या. 02 **NIL** एवं गारण्टर क्रम संख्या. 03 **NIL** है जोकि ऋण अनुबंध के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- यह कि हमे आपको सूचित करते हुए खेद है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तों से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर अनुबंध की शर्तों को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी कम्पनी के निरंतर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे है।
- यह कि प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार-बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। यह कि आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।

अतः आपको इस सूचना पत्र के जरिये सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा उपरोक्त वर्णित ऋण सुविधा को तुरंत प्रभाव से वापस (Loan Recall) लिया जाता है और आपके जिम्मे इस नोटिस को जारी करने की दिनांक तक **48541/-** रुपये बकाया राशि की मांग की जाती है। उपरोक्त राशि की अदायगी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है एवं इसके अतिरिक्त हाइपोथीकेट वाहन पर आपका कब्जा भी अवैध हो गया है जिसे कम्पनी को वापस लौटने का उत्तरदायित्व भी आपका है एवं कम्पनी को भी ऋण अनुबंध की शर्तानुसार हाइपोथीकेट वाहन को स्वयं के आधिपत्य में प्राप्त करने के समस्त अधिकार निहित है व कम्पनी उक्त वाहन को अपने अधिपत्य में ले लेगी।

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दि जाती है कि इस सूचना पत्र दिनांक के 7 दिवस के भीतर उपरोक्त कि पालना करे अन्यथा आपके विरुद्ध अनुबंध की शर्तानुसार एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके समस्त हर्जे खर्चे एवम परिणामो के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आप सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकता

एसके फाइनेंस लि (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

ऋण वापसी/प्रत्याह्वान सूचना पत्र



बनाम

Ref. No. : 5406978/LRN/2022



INDRAJ SINGH C/O MOOLA RAM

GTR

WARD NO. 09 DHILAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297, DHOLAKHERA,

Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

दिनांक :- 15-Feb-23

124

(Borrower):- VIJENDRA KUMAR C/O GIRDHARI LAL

WARD NO 11 DHOLA KHERA TEH.UDAIPURWATI 297, JHUNJHUNU, Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(Co-Borrower 01):-RAKESH KUMAR C/O GIRDHARI LAL

WARD NO. 11 DHOLAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297 DHOLAKHERA Jhunjhunu Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(Co-Borrower 02):- NIL

(Co-Borrower 03):- NIL

(GTR 01):- INDRAJ SINGH C/O MOOLA RAM

WARD NO. 09 DHILAKHERA JHUNJHUNUN RAJASTHAN 297, DHOLAKHERA, Jhunjhunu, Jhunjhunu 333307 Rajasthan

(GTR 02):-NIL

(GTR 03):-NIL

महोदय/महोदय,

यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा आज दिनांक से पूर्व मे दिया गया लोन रीकोल नोटिस निरस्त करते हुए उक्त नोटिस प्रेषित कर आपको इस ऋण वापसी बाबत सूचना पत्र के जरिये प्रार्थी कम्पनी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजि. कार्यालय जी01 जी 02 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से निम्न प्रकार सूचित एवं आगाह किया जाता है-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाती है व कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।
- यह कि आपने स्वयं की जरूरतों के संदर्भ में ऋण पर वित्तीय सुविधा लेने हेतु कंपनी से सम्पर्क कर वित्तीय सुविधा के लिए आवेदन किया । तत्पश्चात वित्तीय सुविधा आपने दिनांक **30/09/2019** को ऋण अनुबंध खाता संख्या **5406978**-निष्पादित कर रुपये **250000/-** कि वित्तीय सुविधा हाइपोथीकेट वाहन जिसका **MAKE-ALTO 800 LXI For Personal Use., VEH.NO-RJ19CH2994, ENGIN_NO-F8DN6060020, CHACHIS_NO. MA3EUA61S00D04107** पर प्राप्त की है ।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्देशानुसार, कम्पनी के द्वारा आपको **3** महीनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। **10002/-** रुपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तीय सुविधा **260002 /-**रुपयें की हो गई थी ।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध की शर्तानुसार आपके द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा की अदायगी कम्पनी को रुपये **8979/-** कि **40** नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक उक्त वाहन कम्पनी के पास हाइपोथीकेट रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध में आप **VIJENDRA KUMAR C/O GIRDHARI LAL** ऋणी एवं सहऋणी क्रम संख्या. 01 **RAKESH KUMAR C/O GIRDHARI LAL** एवं सहऋणी क्रम संख्या. 02 **NIL** एवं **NIL** सहऋणी क्रम संख्या. 03 एवं गारण्टर क्रम संख्या. 01 **INDRAJ SINGH C/O MOOLA RAM** एवं गारण्टर क्रम संख्या. 02 **NIL** एवं गारण्टर क्रम संख्या. 03 **NIL** है जोकि ऋण अनुबंध के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी है ।
- यह कि हमे आपको सूचित करते हुए खेद है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तों से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर अनुबंध की शर्तों को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी कम्पनी के निरंतर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे है ।
- यह कि प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार-बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। यह कि आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।

अतः आपको इस सूचना पत्र के जरिये सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा उपरोक्त वर्णित ऋण सुविधा को तुरंत प्रभाव से वापस (Loan Recall) लिया जाता है और आपके जिम्मे इस नोटिस को जारी करने की दिनांक तक **48541/-** रुपये बकाया राशि की मांग की जाती है। उपरोक्त राशि की अदायगी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है एवं इसके अतिरिक्त हाइपोथीकेट वाहन पर आपका कब्जा भी अवैध हो गया है जिसे कम्पनी को वापस लौटने का उत्तरदायित्व भी आपका है एवं कम्पनी को भी ऋण अनुबंध की शर्तानुसार हाइपोथीकेट वाहन को स्वयं के आधिपत्य में प्राप्त करने के समस्त अधिकार निहित है व कम्पनी उक्त वाहन को अपने अधिपत्य में ले लेगी।

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दि जाती है कि इस सूचना पत्र दिनांक के 7 दिवस के भीतर उपरोक्त कि पालना करे अन्यथा आपके विरुद्ध अनुबंध की शर्तानुसार एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके समस्त हर्जे खर्चे एवमं परिणामो के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आप सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकता

एसके फाइनेंस लि (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)